न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण सख्या:—09/2024 दायर दिनांक:— 27.09.2024

जीसीएमएस नं. 2024/436

दाखा आयु 88 साल, पुत्री किशन, पत्नि जीतमल, जाति जाट निवासी चिनायटा, हालवासी बाईजट्ट, तहसील सूरोठ, जिला करौली. राज

——अपीलान्ट / सायला

बनाम

1. ग्राम पंचायत चिनायटा जरिये सरपंच चिनायटा, तहसील सूरौठ, जिला करौली, राज.
2. तहसीलदार, तहसील सूरौठ, जिला करौली, राज.

——रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध नामांतकरण नम्बरी 72 तारीखी 20.07.1994
ग्राम पंचायत चिनायटा, पचायत समिति
हिण्डौन, जिला—करौली (राज0)

उपस्थित —1.लखनलाल गोयल अधिवक्ता प्रार्थी
2.पैरोकार सरकार तहसीलदार सूरौठ

निर्णय

दिनांक:— 10-3-2025

प्रार्थना पत्र अपील नामान्तकरण सं. 72 निम्न प्रकार पेश है कि ग्राम चिनायटा में खाता सं. 80, 81, 82, 233, 236, 237, 239 में दर्ज भूमि का नामान्तकरण विरासत का जो दिनांक 20.07.1994 में ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक किया गया है, वह विधि विरुद्ध, कानून के खिलाफ व तथ्यों के खिलाफ सजा गया है जो काबिले निरस्त है।

खातेदार मृतक किशन पुत्र धूड़ा जाति जाट, निवासी चिनायटा की उपरोक्त आराजी खातेदारी व कब्जे की आराजी थी।

पटवारी हल्का व सरपंच की गलती से केवल मृतक किशन के बाद उसके पुत्र रामदेव (मृतक) जो मर चुका है, के नाम नामान्तकरण खोल दिया गया है जबकि मृतक किशन की एक पुत्री अपीलान्ट मु दाखा है जो उस समय जीवित थी और आज भी जीवित है, जो गाँव बाईजट्ट अपनी ससुराल में रहती है, जबकि कानूनन: हिन्दू लॉ के हिसाब से भाई व बहन का जमीन में बराबर का हिस्सा रहता है, अकेले मृतक रामदेव के नाम विरासत नामान्तकरण सं. 72 अवैधानिक रुप से खोल दिया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:35:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

अपीलान्ट पढ़ी–लिखी नहीं है, ग्रामीण परिवेश की महिला है जो कानून के बारे में ज्ञान नहीं रखती है, अनपढ है जिसे उक्त नामान्तकरण की कोई जानकारी नहीं थी। अब दिनांक 12.09.2024 को जमाबन्दी देखने व नामान्तकरण की नकल सं. 72 दिनांक 12.09.2024 को मिलने पर पता चला है। अपील अन्दर म्याद पेश है।

अपीलान्ट का भाई रामदेव भी लाऔलाद फौत हो चुका है जो अविवाहित था उसके कोई सन्तान नहीं है और ना ही अपीलान्ट / प्रार्थी के अलावा कोई वारिस मृतक रामदेव के नहीं है। उक्त भूमि की प्रार्थीया ही एकमात्र वारिस है और अपीलान्ट ही मृतक रामदेव (भाई) की जमीन की कानूनन: हकदार है जिसका सबूत नामान्तकरण सं. 319 तारीख 07.03.2005 है जो तहसीलदार हिण्डौन सिटी ने तस्दीक किया है उसमे मृतक रामदेव व अपीलान्ट के हक नामान्तकरण तस्वीक हुआ है जिसकी नकल सलग्न है।

उक्त नामान्तकरण का ईल्म दिनांक 12.08.2024 को न्यायालय की नकल लेने पर अपीलान्ट को पता चला है। अत. ईल्म से अपील अन्दर म्याद पेश है, साथ में धारा 5 लिमिटेशन एक्ट में आवेदन मय शपथ पत्र अपील के साथ पेश है।

अपील पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार किया जकार नामान्तकरण सं. 72 दिनांक 20.07.1994 को निरस्त कर अपीलान्ट के नाम मृतक किशन की खातेदारी के खाता सं. 80, 81. 82. 233, 236, 237, 239 में दर्ज आराजीयात का नामान्तकरण अपीलान्ट के नाम तस्दीक किये जाने एवम् अपीलान्ट के नाम खातेदारी किये जाने के आदेश प्रदान करें।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोंडेंट की ओर से तहसीलदार सूरोठ द्वारा पत्रांक 2202 दिनांक 21.11.2024 व भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त शेरपुर एवं पटवार हल्का चिनायटा से जबाब पेश किया गया जो निम्नानुसार है:–

1. ग्राम चिनायटा में नामा 72 निर्णय दिनांक 20/07/1994 के अनुसार मृतक किशन पुत्र घड्या जाति जाट सा. [illegible] कि विरासत मृतक के पुत्र रामदेव पुत्र किशन जाति जाट [illegible] स्वीकार हुई। नामान्तकरण की छायाप्रति संलग्न है।
2. यह है कि मद सं. 02 रिकार्ड की हद तक स्वीकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:55:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

3. मद सं. 03 इस हदतक स्वीकार है मुताबिक रिपोर्ट भू अभिलेख निरीक्षक शेरपुर एवं पटवारी चिनायटा मृतक किशन पुत्र घूडया जाति जाट नि. चिनायटा के एक पुत्र रामदेव (फौत) एवं एक पुत्री दाखा (जीवित) एवं पत्नि गौमा उर्फ गुलाबो (फौत) होना बताया है।
4. मद स. 04 कानूनी है।
5. मद स. 05 कानूनी है एवं इस हद तक स्वीकार है कि ग्राम चिनायटा का नामान्तकरण सं. 319 निर्णय दिनांक 07.03.2005 के अनुसार मृतक किशन पुत्र धूड्या जाति जाट सा. देह कि विरासत का अंकन रामदेव पुत्र किशन और दाखा पुत्री किशन जाति जाट के नाम स्वीकार हुआ ।
6. मद स. 06 कानूनी है।
7. मद स. 07 कानूनी है।

जबाब शामिल पत्रावली किया गया।

वकील अपीलान्टने दस्तावजी सबूत में नकल प्रमाणित प्रति नामांतकरण संख्या 72 दिनांक 20.07.1994, प्रमाणित प्रति नामांतकरण संख्या 319 दिनांक 07.03.2005, फोटो कॉपी आधार कार्ड दाखा पेश किये हैं।

अपीलान्ट के अधिवक्तागण उपस्थित। अपीलान्ट के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्टने दौराने बहस अपील मे वर्णित तथ्यों को दौहराया हैं तथा अपीलान्ट की अपील स्वीकार करने का निवेदन किया है।

अपीलान्ट के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली व उसमें उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वकील अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नामांतकरण संख्या 72 दिनांक 20.07.1994 एवं तहसीलदार सूरौठ के जबाब के अनुसार मृतक किशन पुत्र घड्या जाति जाट सा. देह खातेदार कि विरासत मृतक के पुत्र रामदेव पुत्र किशन जाति जाट सा. देह के नाम स्वीकार हुई। मुताबिक रिपोर्ट भू अभिलेख निरीक्षक शेरपुर के अनुसार मृतक किशन पुत्र घूडया जाति जाट नि. चिनायटा के एक पुत्र रामदेव (फौत) एवं एक पुत्री दाखा (जीवित) एवं पत्नि गौमा उर्फ गुलाबो (फौत) होना बताया है। प्रकरण में अपीलान्टी द्वारा प्रस्तुत अपील के बिन्दुओं पर वादपत्र में [illegible] दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर नामान्तकरण संख्या 72 फैंसला दिनांक 20.07.1994 को निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। ऐसे हालात में अपीलान्ट की अपील स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:35:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

अ... अपील अपीलान्ट विरूद्ध रेस्पोडेन्टस स्वीकार की जाकर नामान्तकरण सं0 72 फैसल दिनांक 20.07.1994 ग्राम चिनागटा तहसील सूरौठ को निरस्त किया जाता है, तथा तहसीलदार सूरौठ को आदेश दिये जाते हैं कि मृतक किशन के विधिक वारिसों में नियमानुसार पुनः नामान्तकरण भरकर तस्दीक करें। इस हेतु तहसीलदार सूरौठ को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक १७-३-२०२५ को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर) 17/3/25
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:55:09 IST
Reason: SelfAttested